न्यायालय, अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, वीरपुर (सुपौल)

उपस्थित– श्री अमित गौरव

अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी,

वीरपुर

FORM-A

निर्णय दिनांकः–01.04.2026

जी0आर0 नं0–994 / 2023

बीरपुर थाना कांड सं0–352/2023

प्राथमिकी अन्तर्गत धारा–341, 323, 354, 379, 427, 504, 506, 34 भा0दं0वि0

आरोप पत्र समर्पित अंतर्गत धारा– 341, 323, 354ए, 427, 504, 506, 34 भा0दं0वि0

संज्ञान की धारा– 341, 323, 354ए, 427, 504, 506, 34 भा0दं0वि0

आरोप का गठन– 341, 323, 354ए, 427, 504, 506, 34 भा0दं0वि0

सूचक का नाम	रीता देवी, पति मनोज पासवान, सा0 निर्मली वार्ड नं0 12 थाना बलुआ बाजार, जिला सुपौल...**अभियोजन पक्ष**
अभियुक्त	1 .धर्मेन्द्र पासवान, 2.फूलवती देवी, 3.मनन देवी, 4.परमानंद पासवान सभी साकिन निर्मली वार्ड नं0 12 थाना बलुआ बाजार, जिला सुपौल...**प्रतिरक्षा पक्ष**
अभियोजन पक्ष की तरफ से	**श्री उमेश कुमार अभियोजन पदाधिकारी**
प्रतिरक्षा पक्ष की तरफ से	**(विद्वान अधिवक्ता) श्री रामचन्द्र प्रसाद**

FORM-B

अपराध की तिथि	15.10.2023
प्राथमिकी की तिथि	28.10.2023
आरोप पत्र की तिथि	14.12.2023
आरोप गठन की तिथि	11.02.2025
साक्ष्य आरम्भ होने की तिथि	11.02.2025
निर्णय हेतु निर्धारित किये जाने की तिथि	01.04.2026
निर्णय की तिथि	01.04.2026
सजा सुनाये जाने की तिथि (यदि कोई हो)	–

अभियुक्त का क्रम	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तिथि	जमानत प्राप्ति की तिथि	आरोप गठन की तिथि	दोषमुक्ति दोषसिद्धि	सजा का विवरण	विचारण के दौरान कारा में बिताई गयी अवधि
1.	धर्मेन्द्र पासवान		04.11.2023	11.02.2025	दोषमुक्ति	....	....
2.	फुलवती देवी		04.11.2023	11.02.2025	दोषमुक्ति	....	....
3.	मनन देवी		04.11.2023	11.02.2025	दोषमुक्ति		
4.	परमानंद पासवान		04.11.2023	11.02.2025	दोषमुक्ति		

न्यायालय, अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, वीरपुर (सुपौल)

जी0आर0 नं0-0984 / 2023
बीरपुर थाना कांड सं0-352/2023

निर्णय

1. 1. धर्मेन्द्र पासवान, 2.फूलवती देवी, 3.मनन देवी, 4.परमानंद पासवान सभी साकिन निर्मली वार्ड नं0 12 थाना बलुआ बाजार, जिला सुपौल का विचारण भारतीय दण्ड संहिता की धारा– 341, 323, 354ए, 427, 504, 506, 34 भा0दं0वि0 के अपराध हेतु दिनांक–11.02.2025 को अभियुक्तों को आरोप सुनाया गया और उन्हें हिन्दी में समझा दिया गया। अभियुक्तों ने अपने उपर लगाए गए आरोपों से इन्कार किया एवं विचारण की माँग किया।

2. कथित घटना के सूचक जय प्रकाश राम के लिखित बयान के अनुसार अभियोजन का वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि बच्चा–बच्चा में खेलने के क्रम में झगड़ा हुआ तो धर्मेन्द्र पासवान आये और गाली देने लगे कहे कि रंडी तुम्हारे बेटा को मारकर फेंक देंगे। उसके बाद सूचक अपना ईलाज कराकर थाना में लिखित आवेदन दिया और मुकदमा किया। सूचिका का बाल पकड़कर ओसरा पर पटक दिया सूचिका भागकर सड़क पर गई तो उसकी पत्नी फुलवती देवी एवं सभी अभियुक्त मिलकर सूचिका के साथ मारपीट करने लगे। एवं गला से चैन भी खींच लिया और धमकी दिया कि थाना पर जाओगी तो जान मार दूँगा। इस प्रकार घटना के बाद सूचिका थाना जाकर यह मुकदमा की।

3. कथित घटना के सूचिका रीता देवी के द्वारा दिए गए लिखित आवेदन के आधार पर बीरपुर थाना कांड सं0–352 / 2023 थानाध्यक्ष के द्वारा पंजीकृत कर औपचारिक प्राथमिकी तैयार किया गया तथा घटना का अनुसंधान स0अ0नि0 विजाधर सिंह के द्वारा किया गया। अनुसंधानकर्त्ता द्वारा घटना का निरीक्षण किया गया एवं साक्षियों का साक्ष्य अभिलिखित करने के बाद अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र अंतर्गत धारा – 341, 323, 354ए, 427, 504, 506, 34 भा0दं0वि0 में समर्पित किया गया जिसके आधार पर इस न्यायालय के द्वारा मामले का संज्ञान लेकर अभियुक्त को विचारण का सामना करने हेतु समन किया गया।

4. बचाव पक्ष ने अपने बयान के क्रम में धारा–313 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अभिलिखित बयान में अपने को निर्दोष बताया है तथा घटना कारित करने से इनकार किया है।

5. विचारण के क्रम में अभियोजन के द्वारा मात्र एक साक्षी को परीक्षित कराया गया है।

6. बचाव पक्ष के द्वारा संपूर्ण विचारण के दौरान किसी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है।

7. अब विचार करने का मुद्दा यह है कि क्या अभियोजन ने आरोपितों के दोष को संदेह से परे साबित करने में सक्षम हुआ है या नहीं?

चर्चाएं, निर्णय औन उनके कारण

8. अभियोजन साक्षी संख्या–1 रीता देवी ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि यह केस मैंने फुलमती देवी, धर्मेन्द्र पासवान, परमानन्द पासवान एवं मनन देवी पर किया है। मनन देवी का देहान्त आज से छः माह पूर्व हो चुका है। घटना डेढ़ साल पूर्व संध्या समय की है। दोनो पक्षों के बच्चों के बीच में झगड़ा हुआ था उसी को लेकर मुदालय हमारे साथ आकर तू–तू मैं–मैं और झगड़ा झंझट किया था। इसी घटना को लेकर किसी दूसरे व्यक्ति से शिकायत पत्र लिखवाकर उस पर अपना अंगूठे का निशान देते हुए थाना में दिये जिससे यह केस हुआ। आज तीनों मुदालय न्यायालय में उपस्थित हैं पहचानती हूँ। वहीं इन्होंने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि बच्चों –बच्चों के बीच में थोड़ी बहुत नोक झोंक हुआ था उसी को लेकर मुदालय के साथ बाता–बाती हुआ था। किसी प्रकार का कोई मारपीट नहीं हुआ था और न हीं किसी ने मेरी बेटी को मारा था या हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया था। गुस्से में आकर मैं यह केस किया है। शिकायत पत्र में क्या लिखा था लिखने वाला व्यक्ति मुझे पढ़कर नहीं सुनाया और गुस्से में मैं अंगूठे का निशान बनाते हुए थाना में दे दी। अब मैं आगे मुकदमा लड़ना नहीं चाहती हूँ दोनो पक्षों में सुलह हो गया है। राजी खुशी से हमलोगों ने संयुक्त सुलहनामा भी दाखिल किया है। सुलहनामे के आधार पर यदि केस समाप्त होता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

9. निर्णय के बिंदुओं के संबंध में, अधिवक्ता ने यह प्रस्तुत किया है कि इस मामले में आरोपी व्यक्तियों द्वारा किए गए किसी भी अपराध के लिए कोई साक्ष्य नहीं है जिसके लिए उन पर आरोप लगाया गया है। उसने फिर यह प्रस्तुत किया कि किसी भी आरोपी व्यक्ति के खिलाफ रिकॉर्ड पर कोई आपराधिक साक्ष्य नहीं है जो उनको दोषसिद्ध करेगा। जवाब में, अभियोजन पक्ष के लिए अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष सभी आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आरोप साबित करनें मे असफल रहा है।

10. अब सवाल यह है कि क्या अभियोजन पक्ष यह साबित करने में सफल रहा है कि आरोपी व्यक्तियों ने भारतीय दंड संहिता की धाराओं– 341, 323, 354ए, 427, 504, 506, 34 भा0दं0वि0 के तहत दंडनीय अपराध किया है?

11. अब अभिलेख पर उपलब्ध साक्षियों की समीक्षा करने पर विदित होता है कि अभियोजन पक्ष ने अपने मामले को साबित करने के लिए एकमात्र मौखिक साक्ष्य PW1 के रूप में परीक्षण किया है। PW-1 जो इस केस के सूचिका हैं उन्होंने अपने परीक्षण में सूचक के बच्चों बच्चों के बीच झगड़ा होने की बात बताई है तथा उसी के लिए बड़े लोगों में झगड़ा उत्पन्न होने की बात बताई है लेकिन अपने प्रतिपरीक्षण में किसी भी प्रकार का मारपीट होने की घटना से इन्कार करते हैं। अवलोकन से यह भी विदित होता है कि दोनो पक्षों में समझौता हो गया है। अतः साक्षी के साक्ष्य के अवलोकन से विदित होता है कि दोनो आपस में विरोधाभाषी हैं और इस केस के सूचिका या अन्य गवाहों का अभियोजन के द्वारा परीक्षण नहीं किया गया है। अतः अभियोजन पक्ष मामले को साबित करने में पूरी तरह से असफल रहा है। इसलिए, यह अदालत पाती है कि अभियोजन पक्ष किसी भी आरोपी को धारा-- 341, 323, 354ए, 427, 504, 506, 34 IPC के तहत अपराध का दोष साबित करने में असमर्थ रहा है और यहां तक कि घटना की पुष्टि करने में भी सभी उचित संदेहों से परे असफल रहा है।

आदेश

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में न्यायालय पाती है कि अभियोजन अभियुक्तों के खिलाफ किसी भी धारा के अन्तर्गत आरोप सिद्ध करने में विफल रही है। अतः इस कांड के सभी 04 अभियुक्त 1 .धर्मेन्द्र पासवान, 2.फूलवती देवी, 3.मनन देवी, 4.परमानंद पासवान को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया जाता है और साथ ही उनके जमानतदारों को उनके दायित्वों से मुक्त किया जाता है। आज निर्णय खुले न्यायालय में अभियुक्तों को सुनाया गया। निर्णय की प्रति पन्ना 01–04 तक इस अभिलेख के साथ संलग्न है। कार्यालय विधि अनुसार अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करें।

मेरे द्वारा लेखापित एवं शुद्धिकृत

Amit Gaurav

(अमित गौरव)

अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी वीरपुर (सुपौल)

निर्णय खुले न्यायालय में हिंदी में सुनाया गया

Amit Gaurav

(अमित गौरव)

अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी वीरपुर (सुपौल)

FORM-C

क. **अभियोजन /बचाव पक्ष/ न्यायालय गवाहों की सूची अभियोजन गवाह**

क्रम सं0	गवाह का नाम	गवाह का प्रकार (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
1.	रीता देवी	(सूचिका)

ख. **प्रतिरक्षा (बचाव पक्ष) के गवाह (यदि कोई हो)**

क्रम सं0	नाम	गवाह का प्रकार (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
......	......	......

ग. **न्यायालय प्रदर्श (यदि कोई हो):--**

क्रम सं0	प्रदर्श सं0	विवरण
......	......	......

घ. **बचाव पक्ष की ओर से प्रदर्श**

क्रम सं0	प्रदर्श सं0	विवरण
......	......	......

न्यायालय, अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, वीरपुर (सुपौल)

जी0आर0 नं0–604 / 2023
वीरपुर थाना कांड सं0– 352/2023

ङ. न्यायालय की ओर से प्रदर्श

क्रम सं0	प्रदर्श सं0	विवरण
---	-----	----

च. कोई वस्तु प्रदर्श

क्रम सं0	वस्तु	विवरण
---	-----	----

(अमित गौरव)

अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी वीरपुर
दिनांकः–01.04.2026